रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2016/फाल्गुन 13, 1937
No. 143] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2016/ PHALGUNA 13, 1937

## नागर विमानन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2016

**सा.का.नि. 275(अ).**—चूंकि वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003 का प्रारुप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 23 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 3(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 4 जनवरी, 2016 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2016 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003 में,—

(क) नियम 2 में,-

(i) खंड (16क) के स्थान पर,निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

"(16क) "उद्गम राज्य" से वह राज्य अभिप्रेत है जिसके राज्य क्षेत्र में वायुयान में पहली बार खतरनाक माल लादा जाना है";

"(16ख) "गंतव्य राज्य से वह राज्य अभिप्रेत है जिसके राज्य क्षेत्र में वायुयान से अन्ततः खतरनाक माल उतारा जाना है";

(ii) खंड (19) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएं, अर्थात् :-

"(19) "यू.एन. संख्या" किसी वस्तु या पदार्थ या वस्तुओं या पदार्थों के विशिष्ट समूह की पहचान करने के लिए खतरनाक माल के परिवहन और वैश्विक आधार पर संगत प्रणाली के वर्गीकरण तथा रसायनों पर लेवल लगाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा समनुदेशित चार अंकीय संख्या से अभिप्रेत है";

(ख) नियम 10 क में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित पाठ को प्रतिस्थापित

किया जाए, अर्थात् :-

"(1) महानिदेशक या उनकी ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी लिखित रूप में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी उपयुक्त समय में, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां जाकर इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से किन्हीं सेवाओं, उपस्करों, दस्तावेज तथा अभिलेखों की जांच करना आवश्यक है।"

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(3) महानिदेशक या उप-नियम (1) के अधीन प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इन नियमों के अन्तर्गत कोई कृत्य करने वाली कंपनी द्वारा कथित रूप से किये गए उल्लंघनों की जांच कर सकेंगे और प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच के लिए उप-नियम (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।"

[फा.सं. ए.वी.11012/143/2015-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम तारीख 5 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 206 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 16 अप्रैल, 2015 को भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 296 (अ) द्वारा तारीख 17 अप्रैल, 2015 को किए गए।

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2016

**G.S.R. 275(E).**—Whereas the draft of the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003, was published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 3(E), dated the 23rd December, 2015, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 4th January, 2016;

And whereas no objections or suggestions have been received from any person in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003, namely: —

1. (a) These rules may be called the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Amendment Rules, 2016.

(b) These shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003,—

(a) in rule 2,—

(i) for clause (16A), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(16A) "State of origin" means the state in the territory of which the consignment of dangerous goods is first to be loaded on an aircraft;

(16B) "State of destination" means the State in the territory of which the consignment is finally to be unloaded from an aircraft";

(ii) for clause (19), the following clause shall be substituted, namely:-

"(19) "UN number" means the four digit number assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals to identify an article or substance or a particular group of articles or substances; " ;

(b) in rule 10A ,—

(i) for sub-rule (1), the following text shall be substituted, namely:-

"(1) The Director-General, or any other officer authorised by the Central Government in this behalf by a general or special order in writing may, at any reasonable time, enter any place to which access is necessary and inspect any services, equipment, documents and records with a view to ensuring compliance with the provisions of these rules.";

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) The Director-General, or any other officer authorised under sub-rule (1), may carry out investigation into alleged violations by an entity performing any function under these rules and for such investigation, the authorised officer may exercise the power under sub-rule (1)."

[ F. No. AV.11012/143/2015-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

**Note.** —The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 206(E), dated the 5th March, 2003 and last amended by G.S.R. 296 (E) dated 16th April, 2015 in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India dated 17th April, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.